न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1178 / 2024

अनवान : –

1– बंशीधर पुत्र चेतराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– लीलाधर पुत्र चेतराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– राजू पुत्र ओम प्रकाश जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– कालूराम पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– सोहनलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर ।

–– वादीगण

बनाम

1– गोमा देवी पुत्री चेतराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– नरेश पुत्र सरबती जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– राजेन्द्र पुत्र सरबती जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– कृष्णा देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर।

5– सुमन पुत्री ओम प्रकाश जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 10/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 10 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 27 / 24 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.7950 है0 मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 ता 2 की माता व 3 ता 5 की दादी कुनी देवी पत्नी चेतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान बंशीधर (पुत्र), लीलाधर (पुत्र), सरबती (पुत्री), गोमादेवी (पुत्री) व कृष्ण कुमार हुए जिसमें से ओमप्रकाश पुत्र चेतराम फोत हो चुका है जिसके वारिस विद्या देवी (पत्नी), रोहिताश कुमार (पुत्र), राजु (पुत्र), व सुमन पुत्री हुए जिसमें रोहिताश कुमार पुत्र ओम प्रकश अविवाहित फौत हो चुका है तथा सरबती पुत्री चेतराम फौत हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 है व कृष्ण कुमार पुत्र चेतराम फौत हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 4 जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण संख्या 1 ता 2 की बहिन व 3 ता 5 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की मृतक बहिन सरबती के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में मृतका कुनी देवी पत्नी चेतराम के नाम दर्ज 482/6325 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/4 पर काबिज है एवं मृतक ओम प्रकाश पुत्र चेतराम के नाम दर्ज 1807/12650 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 3 व प्रतिवादीया संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं प्रतिवादीया संख्या 4 अपने नाम दर्ज भूमि पर यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र ओम प्रकाश, सरबती, कृष्ण कुमार, कृष्णा देवी, विद्या देवी, रोहिताश कुमार पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण [illegible] के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया व प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 ता 2 की माता व 3 ता 5 की दादी कुनी देवी पत्नी चेतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस ओमप्रकाश (पुत्र), बंशीधर (पुत्र), लीलाधर (पुत्र), सरबती (पुत्री), गोमादेवी (पुत्री) व कृष्ण कुमार हुए जिसमें से ओमप्रकाश पुत्र चेतराम फोत हो चुका है जिसके वारिस विद्या देवी (पत्नी), रोहिताश कुमार (पुत्र), राजु (पुत्र), व सुमन पुत्री हुए जिसमें रोहिताश कुमार पुत्र ओम प्रकश अविवाहित फौत हो चुका है तथा सरबती पुत्री चेतराम फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 है व कृष्ण कुमार पुत्र चेतराम फौत हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 4 जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण संख्या 1 ता 2 की बहिन व 3 ता 5 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की मृतक बहिन सरबती के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में मृतका कुनी देवी पत्नी चेतराम के नाम दर्ज 482/6325 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/4 पर काबिज है एवं मृतक ओम प्रकाश पुत्र चेतराम के नाम दर्ज 1807/12650 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 3 व प्रतिवादीया संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं प्रतिवादीया संख्या 4 अपने नाम दर्ज भूमि पर यथावत काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या [illegible] के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.7950 है0 मुश्तरका खाता की दर्ज [illegible] का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जि[illegible] वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 ता 2 की माता व 3 ता 5 की दादी कुनी देवी पत्नी चेतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस ओमप्रकाश (पुत्र), बंशीधर (पुत्र), लीलाधर (पुत्र), सरबती (पुत्री), गोमादेवी (पुत्री) व कृष्ण कुमार हुए जिसमें से ओमप्रकाश पुत्र चेतराम फोत हो चुका है जिसके वारिस विद्या देवी (पत्नी), रोहिताश कुमार (पुत्र), राजु (पुत्र), व सुमन पुत्री हुए जिसमें रोहिताश कुमार पुत्र ओम प्रकश अविवाहित फौत हो चुका है तथा सरबती पुत्री चेतराम फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 है व कृष्ण कुमार पुत्र चेतराम फौत हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 4 व 5 व प्रतिवादी संख्या 4 जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण संख्या 1 ता 2 की बहिन व 3 ता 5 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की मृतक बहिन ,सरबती के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में मृतका कुनी देवी पत्नी चेतराम के नाम दर्ज 482/6325 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/4 पर काबिज है एवं मृतक ओम प्रकाश पुत्र चेतराम के नाम दर्ज 1807/12650 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 3 व प्रतिवादीया संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं प्रतिवादीया संख्या 4 अपने नाम दर्ज भूमि पर यथावत काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा कुनी देवी के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.7950 है0 में मृतका कुनी देवी पत्नी चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि का एवं वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 के संयुक्त रूप [illegible] हिस्सा भूमि का एवं वादी संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा [illegible] घोषित किये जाते है एवं वादी संख्या 5 का नाम पूर्व में दर्ज भूमि में सोनू पुत्र [illegible] कुमार की बजाये सोहनलाल पुत्र कृष्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुमार का संशोधन करते हुए उक्त हिस्सा शामिल किया जाता है तथा मृतक ओप्रकाश पुत्र चेतराम का नाम कलमजन करवाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीया संख्या 4 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1178/2024

अनवान : –

1– बंशीधर पुत्र चेतराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2– लीलाधर पुत्र चेतराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3– राजू पुत्र ओम प्रकाश जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4– कालूराम पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5– सोहनलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर ।

–– वादीगण

बनाम

1– गोमा देवी पुत्री चेतराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2– नरेश पुत्र सरबती जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3– राजेन्द्र पुत्र सरबती जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4– कृष्णा देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर।
5– सुमन पुत्री ओम प्रकाश जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1178 सन 2024 निर्णय दिनांक · 10/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कूमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.7950 है0 में मृतका कुनी देवी पत्नी चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि का एवं वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि का एवं वादी संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं वादी संख्या 5 का नाम पूर्व में दर्ज भूमि में सोनू पुत्र कृष्ण कुमार की बजाये सोहनलाल पुत्र कृष्ण कुमार का संशोधन करते हुए उक्त हिस्सा शामिल किया जाता है तथा मृतक ओप्रकाश पुत्र चेतराम का नाम कलमजन करवाकर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीया संख्या 4 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर